न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 95/2017

1 पतासी देवी पत्नी रामनाथ।
2 दुर्गा देवी पत्नी रामकुवार।
3 सन्तोष देवी पत्नी सुण्डाराम।
4 राजू देवी पत्नी सुवाराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी बांकली तन शिवनगर डेहरा जोहड़ी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 गौरा देवी विकास समिति गुहाला जरिये सचिव आरती देवी पत्नी रामवतार जाति बलाई निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोविन्दराम पुत्र मूंगाराम जाति माली निवासी शिवनगर गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 माली देवी पत्नी छीतरमल।
3 सन्तोष देवी स्त्री हरिसिंह सैनी।
4 राजेश कुमार सैनी पुत्र शिम्भूदयाल।
5 भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना।
6 उप पंजियक तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 प्रबन्ध अधिकारी सीकर।
8 जिला कलेक्टर सीकर।
9 गिरधारीलाल पुत्र मालाराम।
10 रघुवीर पुत्र मालाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 भगवान सहाय पुत्र मालाराम।
12 सुमन देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद।
13 वन्दना सैनी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद।
14 अंकित सैनी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद।
15 ओमकार पुत्र हनुमान।
16 सुन्दरी देवी पत्नी घीसाराम सैनी।
17 प्रहलाद पुत्र बालू समस्त जाति माली निवासीगण डेहरा जोहड़ी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
18 सुरेश पुत्र छगनलाल।
19 सुभाष पुत्र मातादीन समस्त जाति महाजन निवासीगण गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 27.10.2017 जिसके अनुसार पतासी देवी वगैरह बनाम गोविन्दा दावा संख्या 248/2015 अपीलांट वादीगण को खारिज कर दिया गया।

उपस्थिति :

1. श्री अनिल वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.11.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 248/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे वादी अपीलांट ने दावा संख्या 248/2015 में आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 12 राजेन्द्र पुत्र माला जाति माली निवासी ढ़ाणी बांकली शिवनगर डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना का दिनांक 01.07.2014 को देहान्त हो गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही हो सकी अब नोटिस तामील देखने से जानकारी प्राप्त हुई है। अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 12 का नाम हजफ किया जाकर इनके कानूनी वारिसान का नाम रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबैट किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु की जानकारी जरिये समन होने पर अपीलांट द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद आदेश 22 नियम 4 का आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। विधि अनुसार जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु की जानकारी पूर्व से हो। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी सितम्बर 2007 पेज 603 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया है प्रतिवादी संख्या 12 का देहान्त दावा पेश करने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से पूर्व ही हो चुका था। अपीलांट को इसकी जानकारी प्रारम्भ से ही थी। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार वादी का वाद खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु की जानकारी जरिये समन होने पर अपीलांट द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद आदेश 22 नियम 4 का आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। विधि अनुसार जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु की जानकारी पूर्व से हो। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2007 पेज 603 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि" Code of Civil Procedure, Order 22, Rule 4&9- Appeal against order Of R.A.A.- Held, defendant No.3 'K' expired - Application filed to taken L. Rs. on record with application for condonation of delay u/s 5, Limitation Act- Plaintiff and defendant are brothers, sons of the same father - Provisions of res judicata do not apply in partition suit - Trial Court and appellate court has adopted technical view - Such casesshould be decided after taking L. Rs. no record in view of justice - Order of dismissal of the suit is against provision of Law in view of justice- Order of dismissal of the suit is against provision of law in view of judicial illustrations - Suit should be decided on merits - Order of subordinate courts, set aside- Cases remanded with directions. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में इस न्यायालय का भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्पष्ट अभिमत है कि प्रकरण का निस्तारण तकनिकी आधार पर नही किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 12 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर